न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू

पीठासीन अधिकारी :— श्री बिजेन्द्रसिंह R.A.S.

प्रकरण संख्या	किस्म मुकदमा	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
44/2024	111, 128 LRA	13.11.2024	26.06.2025

1.रेणु सरीन पत्नी डा. हरेन्द्र मोहन सरीन जाति पंजाबी निवासी वार्ड नं. 12, चूरू तहसील व जिला चूरू

—प्रार्थीगण—

बनाम

1. अन्तरसिंह पुत्र श्री मोहरसिंह जाति जाट निवासी सैनिक बस्ती चूरू तहसील व जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार चूरू

— अप्रार्थी—

उपस्थित:— 1. अधिवक्ता श्री हकीम अहमद खान प्रार्थी
2 अधिवक्ता श्री धन्नाराम सैनी अप्रार्थी संख्या 01
3 पैरोकार राज

<u>प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू—राजस्व अधिनियम 1956</u>

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

1.यह कि प्रार्थीनी की कृषि भूमि ख.नं. 2880/2743 रकबा 0.6449 हैक्टेयर रोही चूरू पटवार हल्का चूरू भूअभिलेख क्षेत्र चूरू व तहसील व जिला चूरू में स्थित है जिसके खाता संख्या 911 व पुराना 264 है। प्रार्थीया उक्त कृषि भूमि में एक मात्र खातेदार काश्तकार है।

2.यह कि प्रार्थीया की कृषि भूमि ख. नं. 2880/2743 रकबा 0.6449 हैक्अेयर रोही चूरू पटवार हल्का चूरू में स्थित है अप्रार्थी सं. 01 की कृषि भूमि ख.नं. 2907/2879 रकबा 0.2150 रोही चूरू में स्थित है जो प्रार्थीया की उक्त कृषि भूमि के पश्चिम—दक्षिणी दिशा की सीमा के चिपती ही स्थित है जो प्रार्थीया की उक्त आराजी कृषि भूमि व प्रतिवादी सं. 01 की कृषि में विभाजन से पूर्व संयुक्त काश्तकार थे।

3.यह कि आराजी कृषि भूमि दावा विभाजन के पूर्व ख.नं. 2175/778 तादादी 1.4290 हैक्टेयर व ख.नं. 2743/2313 तादादी 1.4037 हैक्टेयर कुल तादादी 2.8327 हैक्टेयर रोही चूरू में प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 01 व नारायण गिरधारी लाल माली की संयुक्त खातेदारी की थी प्रार्थीया का कुल में से 51/224 हिस्सा अर्थात [illegible] अर्थात 0.2149 हैक्टेयर था। प्रार्थीनी ने उक्त आराजी कृषि भूमि को [illegible] अधिकारी चूरू में दावा सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:32:07 IST
Reason: SelfAttested

664/2017 अनवानी रेणु सरीन बनाम अन्तरसिंह आदि दावा खाता विभाजन का निर्णय व डिक्री दिनांक 10.08.2018 को जारी की जा कर वादिनी का खाता विभाजन राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जो प्रार्थीया खातेदारी जमाबंदी से स्पष्ट है। प्रार्थीया के खाता विभाजन से खातेदार पृथक दर्ज होने से अप्रार्थी सं. 01 अनतरसिंह नाराज होकर अपने खेत खसरा नम्बर 2907/2897 रकबा 0.2150 हैक्टेयर रोही चूरू व प्रार्थीया के खेत के मध्य की सीमा के सीमा चिह्न नष्ट कर कटीले तार व पट्टियां उखाड़ दी गई प्रार्थीया के उक्त खेत खसरा नम्बर की पश्चिम दक्षिणी सीमा व अप्रार्थी सं. 01 के उक्त खेत ख.नं. 2907/2879 रकबा 0.2150 रोही चूरू की उतरी सीमाओं दोनों के मध्य सीमा की नपती सीमांकन व पत्थरगढी का आदेश पारित किया जाकर अप्रार्थी सं. 02 तहसीलदार चूरू को पाबंद किया जाकर करवायी जाना आवश्यक हो गया जो करायी जावे।

4.यह कि प्रार्थीया ने अपनी उक्त आराजी कृषि भूमि भूमि ख.नं. 2880/2743 रकबा 00.6449 हैक्टेयर रोही चूरू की कृषि भूमि व अप्रार्थी सं. 01 की कृषि भूमि के मध्य सीमा में कटीले तार व पट्टियां रोपकर सींव पड़ी हुई थी। प्रार्थी की आयु 75 वर्ष काफी वृद्ध औरत है जो अपनी कृषि भूमि की देखभाल नही कर पाती जिसका नाजायज फायदा उठा कर अप्रार्थी सं. 01 ने प्रार्थीया के खेत की पश्चिमी–दक्षिणी सींव को नष्ट कर कटीले तार व पट्टिया उखाड़ दी एवं सीमा चिह्न नष्ट कर दिये एवं प्रार्थीया की कृषि भूमि को अप्रार्थी सं. 01 ने काश्त नष्ट कर प्रार्थीया को नुकसान पहुंचाते रहे है। प्रार्थी वृद्ध महिला होने के कारण हर वक्त खेत नहीं सम्हाल पाती परन्तु कभी –कभी लावनी आदि करने के वक्त ही आती है जिसका नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी सं. 01 ने सीमा चिह्न खतम कर दिए एवं प्रार्थीया के साथ सीमा को लेकर विवाद करते है तथा जबरन सीमा से आगे बढते रहते है। प्रार्थीनी इस विवाद का स्थायी निदान करवाना चाहती है ताकि भविष्य में कभी कोई सीमा विवाद नहीं हो। सीमा विवाद के चलतें प्रार्थीया के साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है है ऐसी स्थिति में प्रार्थीया के खेत का सीमांकन व पत्थरगढी किये जाने से ही प्रार्थीनी के साथ न्याय होगा इसलिए नाप कर सीमांकन व पत्थरग गढी किया जाना न्यायाचित होगा इसलिए नाम कर सीमांकन व पत्थरगढी किया जाना न्यायाचित है।

5. यह कि प्रार्थीनी की उक्त आराजी कृषि की सीमांकन व सीमाज्ञान करने बाबत् तहसीलदार महोदय चूरू को आवेदन दिनांक 15.05.2024 किया था उक्त आवेदन के अनुसार में तहसीलदार चूरू की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई प्रार्थीनी पूर्णतः असंतुष्ट है। प्रार्थीनी उक्त आराजी कृषि भूमि खेत की खातेदारी कृषि भूमि का रकबा पूरा करवा कर, पैमाईश करवा कर अपने रकबे की हद तक सीमांकन व पत्थरगढी करवाने की खातेदार होने से अधिकारीणी है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:32:07 IST
Reason: SelfAttested

6.यह कि प्रार्थीनी का सीमाज्ञान सीमांकन व पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र ख.नं. 2880/2743 रकबा 0.6449 हैक्टेयर रोही चूरू पटवार हल्का चूरू में सीमांकन आवेन 203168395 रेणु सरी दिनांक 15.05.2024 तहसीलदार चूरू के समक्ष प्रस्तुत की उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसरण में अप्रार्थी सं. 02 द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करना आवेनद सं. से स्पष्ट है प्रार्थना पत्र का आधार व वादककारण उक्त आवेदन पेश होने से कोई कार्यवाही नहीं करना वादाधार है।

7.यह कि प्रार्थीनी ने अप्रार्थी सं. 01 से सीमांकन व पत्थरगढी के लिए अपने अपने खेत खसरा नम्बर की कृषि भूमि का माप सीमांकन करवा कर पत्थरगढी करवाने के लिए कहा तो अप्रार्थी सं. 01 दिनांक 04.09.2024 को सीमांकन पत्थरगढी करवाने से इन्कार कर दिया इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र सीमांकन पत्थरगढी का पेश करने के कारण दिनांक 04.09.2024 से प्राप्त है।

8.उक्त अराजी विवादित कृषि भूमि रोही मोजा चूरू तहसील चूरू में स्थित है जिसके संबंध में सुवनवाई का व श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायाल को है जो श्रीमाजनी के समक्ष पेश है।

9.यह कि प्रार्थनापत्र अन्दर मियाद इन्कारी से व उचित कोर्ट फीस पर श्रीमानजी के समक्ष पेश है।

अतः प्रार्थीनी की ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश पारित किया जावे एवं तहसीलदार चूरू को पाबंद किया जावे कि प्रार्थीनी रेणु सरी खातेदारी कृषि भूमि ख. नं. 2880/2743 रकबा 0.6449 हैक्टेयर रोही चूरू तहसील व जिला चूरू की पश्चिम दक्षिणी दिशा का सीमा का सीमांकन नपती कर, पत्थरगढी किया जाकर प्रार्थीनी के उक्त खसरा का रकबा पूरा–पूरा किया जावे।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता धन्नाराम सैनी ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है कि

1. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 01 प्रार्थीनी प्रमाणिक साक्ष्य से स्वयं साबित करे।
2. यह कि प्रार्थना पत्र मद संख्या 02 प्रार्थीनी प्रमाणिक साक्ष्य से स्वयं साबित करे फिर भी अप्रार्थी संख्या 01 की कृषि भूमि प्रार्थीनी की कृषि भूमि के पश्चिम दक्षिण दिशा में होना स्वीकार है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र की मद [illegible] साक्ष्य से स्वयं साबित करे, इस मद में गलत अंकित किया गया है कि [illegible] संख्या 01 अन्तरसिंह नाराज होकर अपने खेत ख. नं. 2907/2879 [illegible] व प्रार्थीनी के खेत के मध्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:32:07 IST
Reason: SelfAttested

की सीमा के सीमाचिह्न नष्ट कर कटीले तार व पट्टिया उखाड़ दी हो, प्रार्थीनी के उक्त खेत खसरा नम्बर की पश्चिम, दक्षिण सीमा व अप्रार्थी संख्या 01 के उक्त खेत ख. नं. 2907/28798 रकबा 0.2150 रोही चूरू की उतरी सीमाओं दोनो के मध्य सीमा की नतपी सीमाकन व पत्थरगढी का आदेश पारित किया जा सकता हो, अप्रार्थी सं. 02 तहसीलदार चूरू को पाबंद किया जा सकता है जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 ने कोई सीमा चिह्न नष्ट नहीं किये, किसी प्रकार की कटीले तार व पट्टिया नहीं उखाड़ी महज प्रार्थना पत्र को रंगत देने के लिए उक्त तथ्य गलत एवं झुठे अंकित किय गये है। तहसीलदार चूरू को पाबंद किये जाने के कोई कानूनी प्रावधान नहीं है बल्कि वास्तविक तथ्य यहकि किसी प्रकार का आदेश मामनीय न्यायालय द्वारा प्रदान किया जाता है तो उसकी पालना तहसीलदार चूरू के माध्यम से करवाई जाती है। प्रार्थीनी अपनी सम्पूर्ण भूमि की पैमाईश करवाने के लिए स्वतंत्र है किसी दिशा विशेष का सीमांकन नहीं करवाया जा सकता प्रार्थीनी ने उसकी लगती सीमा के चारों के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। उनको पक्षकार बनाये बिना कानूनन प्रार्थना पत्र नहीं चल सकता । अप्रार्थी सं.1 की कृषि भूमि की ओर प्रार्थीनी द्वारा पैमाईश करवाये जाने से पूर्व अप्रार्थी संख्या 01 की कृषि भूमि के खसरा नम्बर 2907/2879 की पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है उसके बाद ही अप्रार्थीनी की कृषि भूमि की पैमाईश कानूनन हो सकती है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा पत्थरगढी हेतु काउण्टर क्लेम पेश किया जा रहा है। उक्त प्रकरण पक्षकारों से असंयोजन से ग्रसित होने के कारण प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

4. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 04 प्रार्थीनी प्रमाणिक साक्ष्य से स्वयं साबित करे, इस मद में गलत अंकित किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा सीमा चिन्ह नष्ट किये हो तथा अप्रार्थी द्वारा विवाद किया जाता हो, जबकि वास्तविक तथ्य यह कि अप्रार्थी ने कभी कोई सीमा चिन्ह नष्ट नहीं किये, कभी कोई विवाद नहीं किया, जिसका खुलासा विवरण काउण्टर क्लेम में किया जा रहा है।

5. यहकि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 05 प्रार्थीनी प्रमाणिक साक्ष्य से स्वयं साबित करे, इस मद में गलत अंकित किया गया है कि तहसीलदार को पैमाईश हेतु आवेदन करने पर उनके द्वारा कोई कार्यवाही न कि जाती हो, जबकि वास्तविक तथ्य यह कि प्रार्थीनी ने तहसीलदार महोदय से पैमाईश करवाकर सीमाकन करवाने का समुचित ढंग से प्रयास नहीं किया। इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:32:07 IST
Reason: SelfAttested

6. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 06 प्रार्थीनी प्रमाणिक साक्ष्य से स्वयं साबित करे, इस मद में गलत अंकित किया गया है कि प्रार्थीनी को वाद कारण हासिल हो, जबकि वास्तविक तथ्य यह कि इस मद में काल्पनिक वाद कारण अंकित किया गया है।

7. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 प्रार्थीनी प्रमाणिक साक्ष्य से स्वयं साबित करे, इस मद में गलत अंकित किया गया है कि 04.09.2024 को सीमाकन व पत्थरगढी से इन्कार किया गया हो, जबकि वास्तविक तथ्य यह कि उक्त तिथि काल्पनिक अंकित की गई है।

8. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 08 प्रार्थीनी प्रमाणिक साक्ष्य से स्वयं साबित करे, इस मद में गलत अंकित किया गया है कि उक्त प्रकरण की सुइवाई का श्रवणाधिकार, क्षेत्राधिकार श्रीमाजनी के न्यायालय को जबकि वास्तविक तथ्य यह कि पैमाईश एवं सीमाकन तहसीलदार से करवाया जा सकता है। इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

9. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 9 कानूनी होने के कारण जबाब की आवश्यकता नहीं है।

10. यह कि आंशिक सीमांकन का कोई कानूनी प्रावधान नहीं होने से प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य नहीं है, इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।

काउण्टर क्लेम

11. यह कि अप्रार्थी संख्या 01 की कृषि भूमि खेत ख. नं. 2907/2879 रकबा 0.2150 हैक्टेयर रोही चूरू पटवार हल्का भू अभिलेख क्षेत्र चूरू व तहसील चूरू में स्थित चली आ रही है। जिसके खाता सं. नया 927 व पुराना 264 है। अप्रार्थी संख्या 01उक्त कृषि भूमि में एकमात्र खातेदार काश्तकार है।

12. यह कि अप्रार्थी सं. 01 की कृषि भूमि खेत ख. नं. 2907/2879 रकबा 0.2150 हैक्टेयर रोही चूरू पटवार हल्का भू अभिलेख क्षेत्र चूरू व तहसील व जिला चूरू में स्थित चली आ रही है जो अप्रार्थी संख्या 01 की उक्त कृषि भूमि के चिपती ही प्रार्थीनी की कृषि भूमि स्थित है।

13. यह कि वादगत कृषि भूमि के पड़ौसी खातेदार रेणु सरीन आदि द्वारा कृषि भूमि की मिट्टी आदि हटाने के कारण व पड़ौसी खातेदार अपनी भूमि को निशानदेही अस्पष्ट व नष्ट कर दी गई है। प्रार्थीनी द्वारा अप[illegible] से निशानदेही हटाकर अप्रार्थी संख्या 01

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:32:07 IST
Reason: SelfAttested

की साईड में बढने का प्रयास किया जा रहा है, जिस कारण अप्रार्थी संख्या 01 का रकबा कम हो गया है, जिसको पुरा करवाया जाना आवश्यक हैं।

14. यह कि उक्त कृषि भूमि की सीमा से चिपते काश्तकार रेणु सरीन आदि एवं द्वारा अप्रार्थी की सीमा से लगती सीमा से छेड़छाड़ कर अप्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने की फिराक मे रहते है। प्रार्थी के स्वयं के अकेले के खातेदारी के खेत की पैमाईश करवाकर ही मुताबिक नक्शा कब्जा खरीद के समय से चला आ रहा था। उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी की खरीदशुदा है, अप्रार्थी की कृषि भूमि की सीमा जो पडौसियो की कृषि भूमि लगती है, उस ओर लगे सीमा चिहन उनके द्वारा जबरदस्ती नष्ट किये जा रहे है तथा अप्रार्थी की भूमि पर नाजायज कब्जा करने की फिराक में है।

15. यह कि रेणु सरीन आदि द्वारा बार–बार पैमाईश कुनीन्दा पटवारियो द्वारा लगाये गये सीमा चिह्नो को नष्ट किया जा रहा, करवाया जा रही है, पड़ोस्यिों द्वारा उन सीमा चिह्नो को नष्ट कर दिया गया जिस कारण विवाद के अंतिम निस्तारण के लिए पटवारी द्वारा लगयो गये चिह्नो को बनाये रखने के लिए पुख्ता पत्थरगएी करवाने का प्रार्थी विधिक अधिकारी है। प्रार्थी ने पूर्व में उक्त कृषि भूमि की पैमाईश करवाने हेतु तहसीलदार चूरू को प्रार्थना पत्र पेश किया था उसके बावजूद भी उक्त कृषि भूमि की पैमाईश कर रिपोट प्रार्थी को उपलब्ध नहीं करवाई है।

16. यह कि अप्रार्थी ने पड़ौसी खातेदार रेणु सरीन को कई बार कहा एवं कहलवाया कि वो प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2907/2879 रकबा 0.2150 हैक्टेयर की कृषि भूमि की सीमा की मौके पर पैमाईश करवा लेवें मगर पडौसी खातेदार रेणु आदि ने पत्थरगढी करवाने से दिनांक 11.09.2024 को इन्कार कर दिया। वाद हेतुक पैदा हुआ अप्रार्थी संख्या 01 कृषि भूमि का धारक होने के काण उसे काउण्टर क्लेम प्रस्तुत करने का अधिकार है। इसक कारण यह आवश्यक हो गया कि अप्रार्थी अपने हितो की रक्षार्थ श्रीमानजी के समक्ष काउन्टर क्लेम पेश करे।

17. यह क तहसीलदार महोदय चूरू को भूमि धारक होने के काण उसे पक्षकार बनाया गया है क्योंकि पत्थरगएभ का कार्य उसके द्वारा करवाया जाना है। लेकिन उसके विरूद्ध कोई प्रतिकुल अनतोष नहीं चाहा गया है।

18. यह कि वादगत कृषि भूमि तहसील चूरू में स्थित होने के कारण काउण्टर क्लेम श्रीमाजनी के श्रवणाधिकार क्षेत्राधिकार में है तथा अन्दर मियाद उचित न्याय शुल्क पर पेश किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:32:07 IST
Reason: SelfAttested

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी आंशिक पैमाईश का कोई प्रावधान नहीं होने से अस्वीकार किया जावे तथा अप्रार्थी संख्या 01 अन्तरसिंह द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम बाबत सीमाकन व पत्थरगढी स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार चूरू को आदेश दिया जावे कि अप्रार्थी संख्या 01 अन्तरसिंह की खातेदारी, काश्तकारी की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 2907/2879 तादादी 0.2150 हैक्टेयर, सम्पूर्णर रकबा का सीमाकन किया जाकर, पत्थरगढी किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

जवाब प्रस्तुत करने पर अधिवक्ता अप्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित रहने से अधिकवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया रेणु सरीन की ओर से तहसीलदार चूरू को सीमांकन बाबत् प्रार्थना पत्र दिनांक 14.05.2025 को गिया गया है। पत्रावली के अवलोकन एवं बहस पर मनन से निम्न तथ्य परिलक्षित होत है। कि

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी श्रीमती रेणु सरीन द्वारा प्रार्थना पत्र अधीन धारा 111 व 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया, जिसमें सीमांकन व पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया गया कि उनकी कृषि भूमि ख.सं. 2880/2743, रकबा 0.6449 हैक्टेयर, रोही, चूरू, उनके एकमात्र खातेदारी व काश्तकारी स्वामित्व में है।

प्रार्थी के अनुसार, पास ही स्थित अप्रार्थी संख्या 01 अन्तरसिंह की भूमि ख.सं. 2907/2879, रकबा 0.2150 हैक्टेयर, रोही, चूरू, उक्त भूमि से सटी हुई है। पूर्व में दोनों की भूमि एक ही खातेदारी में सम्मिलित थी जिसे वाद संख्या 664/2017 में खाता विभाजन कर पृथक किया गया। प्रार्थी के अनुसार विभाजन के बाद अप्रार्थी ने उनकी सीमा से छेड़छाड़ की, सीमा चिन्ह हटाए, कटीले तार उखाडे एवं जबरन भूमि में अतिक्रमण किया।

प्रार्थी ने दिनांक 15.05.2024 को तहसीलदार चूरू को आवेदन भी प्रस्तुत किया, किन्तु कोई कार्यवाही न होने पर यह वाद दायर किया गया।

दूसरी ओर, अप्रार्थी संख्या 01 अन्तरसिंह द्वारा प्रस्तुत जवाब में आरोपों से पूर्णतः इनकार किया गया है। उनके अनुसार किसी प्रकार की सीमा लांघना, सीमा चिन्ह हटाना या कटीले तार उखाड़ना नही किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रार्थी की ओर से केवल पश्चिम-दक्षिण दिशा में सीमांकन करवाना कानूनन मान्य नहीं है, क्योंकि आंशिक सीमांकन का कोई वैधानिक आधार नहीं है। साथ ही, प्रार्थी द्वारा सीमावर्ती अन्य खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया, जिससे वाद दोषपूर्ण है। साथ ही, अन्तरसिंह द्वारा काउण्टर क्लेम दायर कर यह भी निवेदन किया गया कि प्रार्थी की ओर से उनकी भूमि [illegible] अतिक्रमण का प्रयास किया गया है, उनके सीमा चिह्न हटाए जा रहे हैं, [illegible] है। अतः उनके द्वारा भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:32:07 IST
Reason: SelfAttested

44

सम्पूर्ण ख.सं. 2907/2879 रकबा 0.2150 हैक्टेयर भूमि का सीमांकन व पत्थरगढी करवाने की मांग की गई है।

प्रस्तुत पत्रावली के अवलोकन, बहस, एवं प्रस्तुत साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि प्रार्थी व अप्रार्थी की भूमि पूर्व में संयुक्त थी और वाद विभाजन से पृथक हुई है। सीमाएं एक–दूसरे से सटी हुई हैं, अतः सीमा विवाद की संभावना वास्तविक प्रतीत होती है।

दोनों पक्षों द्वारा एक–दूसरे पर सीमा उल्लंघन, सीमा चिन्ह हटाने व अतिक्रमण के आरोप लगाए गए हैं। इससे यह स्पष्ट है कि विवाद केवल एक पक्षीय नहीं है और न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

यह तर्क कि प्रार्थी ने सीमावर्ती सभी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया, आंशिक रूप से तकनीकी सत्य है, परंतु वर्तमान विवाद विशिष्ट सीमाओं के मध्य है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 ही मुख्य रूप से संलग्न है। अतः न्यायालय इस तकनीकी आपत्ति को मुख्य विवाद का अवरोध नहीं मानता।

आंशिक सीमांकन का तर्क न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि कानूनन किसी दिशा विशेष का सीमांकन नहीं बल्कि पूर्ण खसरा भूमि का सीमांकन किया जाना ही उपयुक्त है।

काउण्टर क्लेम में उल्लिखित तथ्यों से भी यह स्पष्ट है कि दोनों पक्ष सीमांकन व पत्थरगढी की आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं, अतः न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक है।

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्न आदेश पारित किया जाता है:

1. प्रार्थी (रेणु सरीन) की ओर से दायर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
2. अप्रार्थी संख्या 01 (अन्तरसिंह) की ओर से प्रस्तुत काउण्टर क्लेम भी स्वीकार किया जाता है।
3. तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि:
   ख.सं. 2880/2743, रकबा 0.6449 हैक्टेयर (प्रार्थी रेणु सरीन की भूमि) तथा
   ख.सं. 2907/2879, रकबा 0.2150 हैक्टेयर (अप्रार्थी अन्तरसिंह की भूमि)
   का संयुक्त रूप से सीमांकन एवं पत्थरगढी मौके पर करवाई जाए।
4. पटवारी भू. अभिलेख निरीक्षक एव नायब तहसीलदार की संयुक्त टीम का गठन किया जाकर सीमांकन कार्य नक्शा अनुसार, खातेदारी रकबे एवं वास्तविक स्थिति के आधार पर किया जाए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:32:07 IST
Reason: SelfAttested

5.सीमांकन के समय दोनों पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य की जाए। यदि कोई अनुपस्थित हो तो उसकी अनुपस्थिति में सीमांकन कर रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाए।

6.सीमांकन व पत्थरगढी की कार्यवाही पूर्ण कर उसकी विस्तृत रिपोर्ट इस न्यायालय में 30 दिवस की अवधि में प्रस्तुत की जाए।

7.यदि सीमांकन कार्य में कोई पक्षकार बाधा उत्पन्न करता है तो तहसीलदार उचित कानूनी कार्यवाही करें ।

8.सीमांकन एवं पत्थरगढी की समस्त कार्यवाही का विवरणात्मक पंचनामा एवं मानचित्र सहित रिपोर्ट तैयार करें। सीमांकन एवं पत्थरगढी में होने वाला समस्त व्यय प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी स्वयं वहन करेंगे

9. अप्रार्थी संख्या 01 (तहसीलदार) को इस आदेश के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश दिए जाते हैं कि वे निर्धारित समयावधि में उक्त कार्यवाही पूर्ण कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 26.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुली अदालत में सुनाया गया।

44

(बिजेन्द्रसिंह) RAS
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:32:07 IST
Reason: SelfAttested